EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 216-219

Dated 1-2-2003

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सीमा सड़क विकास बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्ते शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क अभियंता सेवा समूह ''क'' मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) भर्ती नियम, 2002 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बार्ते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता: वह व्यक्त-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

i properti	variati ing same	MARKED VI	अनुसूची		हिं। किसीस किल्लाहरू केल्लाक्ट केल्लाक्ट कर		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	केन्द्रीय सिविल सेव	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,	
1.5 F 0005		7 250 V			1972 के नियम 30 अनुज्ञेय है या नहीं	के अधीन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
मुख्य अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक)	02*(2002) *कार्यभार के	सीमा सड़क इंजी- नियरिंग सेवा,	18400-500 22400 ₹∘	05.00म चयन ७०३ २००७ स)	लागू नहीं होता		
dend _i a 7	आधार पर परिवर्तन किया जा	समूह''क'',	iriakili Salahar	OM Bilde SM	3 2 1		
mbas I il.	सकता है।	and of almost of	a = 1119es el 20	estro e Ma	g 1 19 19 19 19 19 19	120	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्या के लिए अपेक्षित शैक्षिक औ अईताएं	र अन्य के लिए वि	हए जाने बाले व्यक्तियों हत आयु और शैक्षिक नत व्यक्तियों की दशा ो या नहीं	परिवीक्षा ज़िस्जविध यदि कोई हो	
(7)	(8)	(9)		(10)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं	होता	लागू नहीं होता	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथ भरे जाने वाले पदों की प्रतिशत	। विभिन्न पद्धतियों द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अ प्रतिनियुक्ति/आमेलन र्1		में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/	
(11)		(12)			
प्रोन्नित द्वारा या सेना से तैनाती टिप्पण : सेना से तैनाती द्वारा कुल पदों की संख्या के 50 प्रा	भरे जाने वाले पदों की संख्या तेशत से अधिक नहीं होगी।	यांत्रिकी) जिसने उस श्रेणी में सेवा की हो य श्रेणी ''क'' पद पर स सेवा अधीक्षण अभियंत पद पर रहते हुए कमाड हो। सेना में तैनाती:—क टिप्पण:—जहां ऐसे सेवा पूरी कर ली है, प्र व्यक्तियों के संबंध में गई ऐसी अईक/पात्रता दो वर्ष से, इनमें से ज्व्यक्तियों सहित उनकी	श्रेणी में आठ वर्ष नियम् । सीमा सड़क इंजीनियरिंग । रह वर्ष नियमित सेवा की । के रूप में हो जिसमें से दो र बेस कार्यशाला/कमान अ मिंक नीति के अनुसार ब्रिंग कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध ग्रेनित के लिए विचार कि भी विचार किया जाएफ पर्य सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्र । भी कम हो, कम न हों उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के । ली हैं, जिन्होंने ऐसी अर्ह	ता अधीक्षण अभियंता (वैद्युत एर तत सेवा सहित अकृत्यिक चया सेवा (वैद्युत एवं यांत्रिकी) क है जिसमें से 4 वर्ष की नियमित वर्ष बतौर अधीक्षण अभियंता वे विध्वारी स्टोर प्रभाग का अनुभव में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रत या जा रहा हो जहां उनके ज्येष तु यह तब जब कि उसके द्वारा क ता सेवा के आधे से अधिक से य और उन्होंने अपने ऐसे कनिष् लिए अपनी परिवीक्षा की अवि क/पात्रता सेवा पहले ही पूरी क	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति उसकी सरंचना	है, तो		भर्ती करने में किन आयोग से परामर्श	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा किया जाएगा	
(13	5)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(14)	
समूह''क''विभागीय प्रोन् 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ 2. सचिव, सीमा सड़क विष 3. महानिदेशक, सीमा सड़	रास मंडल	करने के लिए) : —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य	• ·	योग से परामर्श आवश्यक है।	
-			[જા.સ. વા.આર	. 61. 41./0 [/61/2000/जा.इ.]	

[फा.सं. बी.आर.डी.बी./01/61/2000/जी.ई. I] दीपक दास, निदेशक (बीआरडीबी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Border Roads Development Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2003

G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Engineer (Electrical and Mechanical) in the Ministry of Road Transport and Highways, in the Border Roads Organisation, namely:—

- Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Border Roads Engineering Service Group 'A' [Chief Engineer (Electrical and Mechanical)] Recruitment Rules, 2002.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 4. Disqualification .- No person,-
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entred into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection	
			813 2 3/4	or non-selection	
	To the same of the Control of the Co	St 10 Contains in	***	post	
1	2	3	4	5 1012	
Chief Engineer 02*(2002)		Border Roads	Rs. 18400-500-	Selection	
Electrical and *Subject to variation		n Engineering	22400	Control of the Contro	
Mechanical)					
Whether benefit of years of service adn under rule 30 of the (Pension) Rules, 197	nissible CCS	ge limit for direct recruits	Educational and for direct recruit	d other qualifications required ts	
6		7	8		
Not applicable		Not applicable	Not applicable		
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees Period of probation if any		on, by pron	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		
9	10		11		
Not applicable	Not app	Note:	By promotion, or posting from Army. Note: The posts filled up by way of posting from the Army shall not exceed 50 per cent of the total posts.		

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grade from which promotion/ deputation/absorption to be made If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition Circumstances in which
Union Public Service Commission
to be consulted in making
recruitment

10000

12

Promotion:

Superintending Engineer (Electrical and Mechanical) with eight years regular service in the grade including service if any, in the Non-Functional Selection Grade or Seventeen years regular service in Group 'A' posts of Border Roads Engineering Service (Electrical and Mechanical) out of which four years regular service should be in the grade of Superintending Engineer out of which two years experience as Superintending Engineer should be as Commander Base Workshop or Officer Commanding Store Division.

Personnel policy

Note: —Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qulifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering

promotion):

Chairman or Member, Union Public.
 Service Commission — Chairman

13

- Secretary, Border Roads
 Development Board —Member
- Director General Border
 Roads —Member

Consultation with Union Public Service Commission is necessary

14

[F. No. BRDB/01/61/2000-G.E.I.] DEEPAK DAS, Director (BRDB)